

झारखंड-सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

श्री अलखदेव प्रसाद,
निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा,
झारखंड, रांची ।

सेवा में,

सचिव,
सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली ।

रांची, दिनांक 21 अप्रैल, 2003

विषय:-

झारखंड राज्य के अन्तर्गत संचालित निम्नी विद्यालयों को
सी0बी0एस0ई0 से सम्बन्धित हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र
निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उक्त है कि मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड सरकार के द्वारा विचारोपरान्त सी0बी0एस0ई0 से राज्य के अन्तर्गत
संचालित निम्नी विद्यालयों की सम्बद्धता के लिये निम्नांकित विद्यालयों को नीचे
अंकित शर्तों एवं बन्धनों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र ^{निर्गत} करने का निर्णय लिया
गया है :-

क्रम- विद्यालय का नाम

1. वीज फोर्ड स्कूल, तुमुदाना, रांची
2. टेन्डर हर्ट सिनियर सेण्टेनरी विद्यालय, तुमुदाना, रांची
3. राधागोविन्द पब्लिक स्कूल, जारापोला, रामगढ़ जैन्ट
4. मित्राणी विद्यालय, तिलैया डैम, कोडरमा ।
5. मर्स इन्टरनेशनल एकादमी, मधुपुर
6. गीता देवी डी0एस0भी0 पब्लिक स्कूल देवघर ।
7. रेडरोज स्कूल, गार्डर टाउन, देवघर ।
8. आर0ओ0पब्लिक स्कूल, गढ़वा ।
9. सरस्वती शिक्षा विद्यामंदिर बापमारा, धनपाद ।
10. मॉडर्न पब्लिक स्कूल, मुमरी तिलैया, कोडरमा ।

afg

1. विधालय की वार्षिक वक्त भाव 10% से अधिक नहीं हो त
प्रमाणित हो सके विधालय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्थापित नहीं
गया है। कुल आय का 10 प्रतिशत जो व्यत होगा उसका उपयोग भी विधालय के
विकास में किया जायेगा। विधालय में कार्यरत सभी कर्मियों को कम से कम राज्य
सरकार में कार्यरत समकल कर्मियों को देय वेतन एवं भत्ते के बराबर मुगतान करना
होगा।
2. विधालय को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जायेगा।
3. विधालय को शहरी क्षेत्र में 2 एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र में 4 एकड़ भूमि
विधालय के नाम से निबंधित या कम से कम 30 वर्षों के निबंधन पट्टा/लीज पर होना
चाहिये। यदि भविष्य में जाकीररान्त विन्न स्थिति पाई जायगी तो अनापति
प्रमाण-पत्र वापस लेने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
4. विधालय में हिन्दी भाषा की प्रदाई अनिवार्य रूप से होनी चाहिये।
5. नामाङ्कन हेतु किसी प्रकार का डोनेशन या दैपिदेशान पत्र नहीं लिया
जायगा।
6. गरीबी रेखा से नीचे के छात्रों का 10 प्रतिशत स्थान नामाङ्कन के लिए
सुरक्षित होगा साथ ही सामान्य श्रुल्य 50 प्रतिशत श्रुल्य लिया जायेगा।
7. विधालय का कार्य-उत्पाय राष्ट्रहित में होना चाहिये। विधार्थियों के
राष्ट्रीयता का संचार, नैतिक तथा राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों, ऐतिहासिक, भौगोलिक
तथा वैज्ञानिक ज्ञान वर्द्धन शारीरिक एवं ब्यक्तित्व विकास हेतु सकारात्मक प्रयास
करना होगा।
8. विधालय में छात्रों की समुचित संख्या एवं उनके अनुपाल में शिक्षा होना
चाहिये।
9. विधालय में नामाङ्कन प्रक्रिया, कर्मियों की संख्या एवं योग्यता एवं नियुक्ति
प्रशिक्षण आदि में समय-समय पर राज्य सरकार स्वीक्रीप्ररान्त सभोघन कर सकेगी।
10. विधालय संचालन हेतु गणित नियमावली के आधार पर गणित शासी
निजाय के सदस्यों की कार्य-दिर्घ पूर्ण होने पर नये सदस्यों की सूची जिला शिक्षा
पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
11. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के एक्सटेन्सन ग्रुप
प्रोग्राम तथा एन0सी0सी0, एन0एस0एस0स्काउट एवं गाईड आदि को सुचारु रूप से
करना होगा।
12. यदि कोई संस्था पूर्व से किसी बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो तो विभागीय
परिपत्र संख्या-1055 दिनांक 5-9-2001 के अनुसार शर्तों का पालन करना होगा
अन्यथा अनापति प्रमाण-पत्र वापस लेने का सर्वाधिकार राज्य सरकार में सुरक्षित
होगा।
13. उपर्युक्त शर्तों या बन्धनों के अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य
सरकार को अनापति प्रमाण-पत्र रद्द करने का अधिकार होगा।
14. अनापति प्रमाण-पत्र के लिये विधालय द्वारा समर्पित इच्छातर्फी एवं
अभिलेखों को जाली अथवा वास्तविक स्थिति से भिन्न पाया जाये या विधालय
द्वारा राष्ट्र या राज्यहित के विरुद्ध किया जा रहा है हो या ऐसा कार्य जिससे
सामाजिक कटुता फैला हो तो सरकार निर्गत अनापति प्रमाण-पत्र को वापस
ले सकती है।

ना नहीं। इसकी जाँच समय-समय पर मानव संसाधन विकास डायरेक्ट के सहायक अधिकारी द्वारा की जायेगी तथा सरकार जब चाहे विधालय संस्था के वित्तीय एवं अकादमिक अनियमितताओं की जाँच क्लक करेगी और जाँचोपरान्त अनुवर्ती कार्रवाई कर सकेगी ।

16. स्तद विषयक किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का निपटारा माननीय डायरेक्ट उच्च न्यायालय, रांची के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा ।

17. समय-समय पर लौकहित में सरकार द्वारा विधालय सम्बन्धित संबंधी जो निर्णय लिए जायें उसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा शाक्तों के उल्लंघन मानते हुए अनापत्ति मुक्त प्रशासन-पत्र वापस लेने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी ।

विश्वासभाजन
21/4/2003
शु. अलखदेव प्रसाद
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
डायरेक्ट, रांची ।

ज्ञापक-935 / रांची, दिनांक 21 अप्रैल, 2003

प्रतिलिपि, संबंधित सभी स्टेडीज उप निदेशक/रांची जिला शिक्षा पदाधिकारी/ सभी संबंधित विधालय के प्रधानाचार्यों को सूचनार्थ प्रेषित ।

21/4/2003
शु. अलखदेव प्रसाद
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
डायरेक्ट, रांची ।

ज्ञापक-935 / रांची, दिनांक 21 अप्रैल, 2003

प्रति लेखि, माननीय मंत्री के आप्त सचिव & सचिव मानव संसाधन विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/4/2003
शु. अलखदेव प्रसाद
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
डायरेक्ट, रांची ।

अलखदेव